संख्या- 13/2022/453(1)/सा0/सैंतालीस-4-2022-2-ई.एम./2009

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/
विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ:: दिनांकः: 04 अगस्त, 2022

विषयः सेवा संवर्गों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कर्मचारी संगठनों की मांगों/समस्याओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से बैठकें आहूत कर, इनका निराकरण किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-9/2021/2-ई.एम./2009-का-4-2021, दिनांक 27 जुलाई, 2021 एवं शासनादेश संख्या-9/2022/ सामान्य-145/सैंतालिस-का-4-2022-2-ई.एम./2009, दिनांक 17 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेशों में उल्लिखित सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद मण्डल/जनपद स्तर पर कर्मचारी संगठनों की मांगों के निराकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही नही की जा रही है। संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक से समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर संपर्क किया जाता है। ऐसे प्रकरण जिनका समाधान मण्डल/जनपद के स्तर पर किया जा सकता है, उन प्रकरणों को भी इस स्तर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, यह स्थिति सर्वथा उचित नही हैं।

3. उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का पुनः निदेश हुआ है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों/ कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं के निस्तारण के संबंध में समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा अपने-अपने मण्डल/जनपद में प्रत्येक स्तर पर बैठकें आयोजित करें तथा इसका कार्यवृत्त भी निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ पर सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in/